



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 15(1)(5)डी.एम.ई./राजमेस/2017पार्ट

जयपुर, दिनांक: 3 MAR 2021

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस)
चिकित्सा शिक्षा भवन,
जयपुर।

विषय:- उप विधि परामर्शी के पद को संयुक्त विधि परामर्शी के पद में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) में स्वीकृत 01 उप विधि परामर्शी के पद को 01 संयुक्त विधि परामर्शी के पद में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि सोसायटी द्वारा भविष्य में उप विधि परामर्शी के नवीन पद सृजन की माँग नहीं की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 132100014 दिनांक 01.03.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय
3/3/2021
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभागाधिकारी (एस), चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

3/3/2021
शासन संयुक्त सचिव